FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0135 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 24/05/2026 09:14 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 21/05/2026 **Date To (दिनांक तक):** 22/05/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:45 बजे **Time To (समय तक):** 11:13 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 24/05/2026 **Time (समय):** 09:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 24/05/2026 09:14:25 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 31 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** DR. K.N. MODI VISHWAVIDYALAY BANSTHALI ROAD, NEWAI KA KARYALAY KAKSH

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): CHETRAM GURJAR

(b) Father's Name (पिता का नाम): DHANPAL GURJAR

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1997 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	RAJWANA, CHOTH KA BARWADA, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	RAJWANA, CHOTH KA BARWADA, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MEENU GANGAL		पति:MAHESH KUMAR	1. E-19,GREEN PARK,AGRA ROAD,JAIPUR,JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA
2	RAMESH CHAND MEENA		पिता:HANUMAN MEENA	1. JAILALPURA,BONLI,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		20,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 20,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक (राजस्थान) विषय- रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाने बाबत्। महोदय, निवेदन है कि मैं प्रार्थी चेतराम गुर्जर पुत्र श्री धनपाल गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 29 साल निवासी ग्राम रजवाना तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर का रहने वाला हू। मैं डॉ. के. एन. मोदी विश्वविद्यालय वनस्थली रोड निवाई में वर्ष 2024-26 बी.एड. द्वितीय वर्ष का विधार्थी हू। मैंने बी.एड. की प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष की निर्धारित फीस जमा करवा रखी है। जिसकी मेरे पास रसीद है। मेरा स्वास्थय खराब होने एवं घर पर आवश्यक कार्य होने के कारण मैं कुछ दिनो विश्वविद्यालय नही जा पाया था। जिस कारण मेरी अनुपस्थिति दर्ज की गई। आज से करीब एक माह पूर्व मेरा स्वास्थय ठीक होने पर जब मैं विश्वविद्यालय में गया तो मीनू गंगल एच.ओ.डी. मैडम ने मुझे बुलाकर कहां कि तु अनुपस्थित रहा है जिस कारण तु परीक्षा में नही बैठ सकता है। अगर तुझे तेरी अनुपस्थिति सही करवानी है तो तुझे 23000 रूपये देने पडेगे नही तो तुझे परीक्षा में नही बैठने दूंगी। मैने मैडम से कहां कि मेरी सारी फीस जमा है तथा मैं ज्यादा दिन अनुपस्थित नही रहा मैं तो लगातार कॉलेज आया हू तो कहने लगी कि अगर तुने रूपये नही दिये तो तुझे मुख्य परीक्षा के लिये प्रवेश पत्र नही मिलेगा। मैं कई बार उनके पास प्रवेश पत्र लेने गया लेकिन उन्होने मुझे प्रवेश पत्र नही देकर रिश्वत की मांग कर रिश्वत देने पर ही प्रवेश पत्र देने हेतु कहां। कल दिनांक 20.05.2026 को मेरी मुख्य परीक्षा होने से मैं विश्वविद्यालय में गया तथा मीनू गंगल मैडम से उनके चेम्बर में जाकर कहां कि आज मेरी मुख्य परीक्षा है मुझे प्रवेश पत्र दे दो तो मैडम ने मुझसे कहा कि तू अनुपस्थित रहा है तुझे परीक्षा में बैठना है तो 23000 रूपये देने होंगे। मैने भावनात्मक रूप से मीनू गंगल मैडम से निवेदन किया कि मुझे मेरा परीक्षा का प्रवेश पत्र दे दो ताकि मैं परीक्षा दे सकू तो मीनू गंगल मैडम ने कहां कि आज तो तू परीक्षा दे ले तथा कल तथा बाकी परीक्षा देनी है तो कल 23000 रूपये लेकर आना नही तो परीक्षा नही देने दूंगी। फिर मुझे कल प्रवेश पत्र देकर 2 बजे परीक्षा में बैठा लिया तथा पेपर समाप्त होने पर मेरा प्रवेश पत्र वापस ले लिया। मीनू गंगल मैंडम मुझसे लगातार रिश्वत राशि की मांग कर परेशान कर रही है। मेरी विश्वविघालय में कोई फीस शेष नही है। मीनू गंगल मैडम ने कहां कि तुझे जहां शिकायत करनी कर ले बिना रूपये दिये तुझे परीक्षा में नही बैठने दूंगी। मैं अपने जायज काम के बदले में मीनू गंगल एच.ओ.डी. डॉ. के. एन. मोदी विश्वविद्यालय वनस्थली रोड निवाई को रिश्वत नही देना चाहता हू तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू। मेरी मीनू गंगल एच.ओ.डी. से कोई पुरानी रंजीश व रूपये पैसो का लेन-देन बकाया नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। प्रार्थी चेतराम गुर्जर पुत्र श्री धनपाल गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 29 साल निवासी ग्राम रजवाना तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर। मोबाईल नम्बर कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक दिनांक 21.05.2026 समय 10.45 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक के समक्ष परिवादी श्री चेतराम गुर्जर पुत्र श्री धनपाल गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 29 साल निवासी रजवाना तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर ने उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश कि मैं डॉ. के. एन. मोदी विश्वविद्यालय वनस्थली रोड निवाई में वर्ष 2024-26 बी.एड. द्वितीय वर्ष का विधार्थी हू। मैंने बी.एड. की प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष की निर्धारित फीस जमा करवा रखी है। जिसकी मेरे पास रसीद है। मेरा स्वास्थय खराब होने एवं घर पर आवश्यक कार्य होने के कारण मैं कुछ दिनो विश्वविद्यालय नही जा पाया था। जिस कारण मेरी अनुपस्थिति दर्ज की गई। आज से करीब एक माह पूर्व मेरा स्वास्थय ठीक होने पर जब मैं विश्वविद्यालय में गया तो मीनू गंगल एच.ओ.डी. मैडम ने मुझे बुलाकर कहां कि तु अनुपस्थित रहा है जिस कारण तु परीक्षा में नही बैठ सकता है। अगर तुझे तेरी अनुपस्थिति सही करवानी है तो तुझे 23000 रूपये देने पडेगे नही तो तुझे परीक्षा में नही बैठने दूंगी। मैने मैडम से कहां कि मेरी सारी फीस जमा है तथा मैं ज्यादा दिन अनुपस्थित नही रहा मैं तो लगातार कॉलेज आया हू तो कहने लगी कि अगर तुने रूपये नही दिये तो तुझे मुख्य परीक्षा के लिये प्रवेश पत्र नही मिलेगा। मैं कई बार उनके पास प्रवेश पत्र लेने गया लेकिन उन्होने मुझे प्रवेश पत्र नही देकर रिश्वत की मांग कर रिश्वत देने पर ही प्रवेश पत्र देने हेतु कहां। कल दिनांक 20.05.2026 को मेरी मुख्य परीक्षा होने से मैं विश्वविद्यालय में गया तथा मीनू गंगल मैडम से उनके चेम्बर में जाकर कहां कि आज मेरी मुख्य परीक्षा है मुझे प्रवेश पत्र दे दो तो मैडम ने मुझसे कहा कि तू अनुपस्थित रहा है तुझे परीक्षा में बैठना है तो 23000 रूपये देने होंगे। मैने भावनात्मक रूप से मीनू गंगल मैडम से निवेदन किया कि मुझे मेरा परीक्षा का प्रवेश पत्र दे दो ताकि मैं परीक्षा दे सकू तो मीनू गंगल मैडम ने कहां कि आज तो तू परीक्षा दे

ले तथा कल तथा बाकी परीक्षा देनी है तो कल 23000 रूपये लेकर आना नही तो परीक्षा नही देने दूंगी। फिर मुझे कल प्रवेश पत्र देकर 2 बजे परीक्षा में बैठा लिया तथा पेपर समाप्त होने पर मेरा प्रवेश पत्र वापस ले लिया। मीनू गंगल मैंडम मुझसे लगातार रिश्वत राशि की मांग कर परेशान कर रही है। मेरी विश्वविघालय में कोई फीस शेष नही है। मीनू गंगल मैडम ने कहां कि तुझे जहां शिकायत करनी कर ले बिना रूपये दिये तुझे परीक्षा में नही बैठने दूंगी। मैं अपने जायज काम के बदले में मीनू गंगल एच.ओ.डी. डॉ. के. एन. मोदी विश्वविद्यालय वनस्थली रोड निवाई को रिश्वत नही देना चाहता हू तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू। मेरी मीनू गंगल एच.ओ.डी. से कोई पुरानी रंजीश व रूपये पैसो का लेन-देन बकाया नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को को पढकर सुनाई गई तो परिवादी ने रिपोर्ट में अंकित तथयों का सही होना व रिपोर्ट अपने द्वारा हस्तलिखित करना तथा रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना बताया तथा अपने आधार कार्ड व वर्ष 2025-2026 की फीस की रसीद, द्वितीय वर्ष परीक्षा के प्रवेश पत्र की स्वप्रमाणित फोटोप्रति पेश की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दरियाप्त से मामला रिश्वत राशि मांग का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत आना प्रथमदृष्टया दृष्टिगोचर होता है। समय 11.30 ए.एम. पर कार्यालय आलमारी में से सरकारी डिजीटल वायस रिकॉर्डर निकलवाकर उसमें एक खाली मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन व रखरखाव की विधि की समझाईश की जाकर उचित हिदायत दी गई। परिवादी ने बताया कि मेरा आज 2 पी.एम. पर एग्जाम है। मैं एग्जाम में बैठने हेतु मीनू गंगल एच.ओ.डी. डॉ. के. एन. मोदी विश्वविद्यालय वनस्थली रोड निवाई से प्रवेश पत्र लेने हेतु जाउगॉ तो वह मुझसे रिश्वत की मांग करेगी। इसलिये मैं आज ही मीनू गंगल एच.ओ.डी. डॉ. के. एन. मोदी विश्वविद्यालय वनस्थली रोड निवाई से मिलकर अपने काम की तथा रिश्वत राशि के सम्बन्ध में वार्ता कर लूंगा। अतः कानि0 जलसिंह कानि. 248 को तलब कर परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी व कानि. जलसिंह को वॉयस रिकार्डर में वायस दर्ज करने तथा रिकार्डर को चालू व बंद करने की प्रक्रिया समझाईयी। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के जलसिंह कानि. 248 को सुपुर्द कर समय 12.10 पी.एम. पर परिवादी एवं जलसिंह कानि. 248 को वास्ते रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु ईलाका निवाई रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की गई। समय 1.50 पी.एम. पर श्री जलसिंह कानि. 248 ने जरिये दूरभाष बताया कि परिवादी व मीनू गंगल एच.ओ.डी. डॉ. के. एन. मोदी विश्वविद्यालय वनस्थली रोड निवाई के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हो चुकी है। परिवादी ने बताया कि आरोपिया मीनू गंगल एच.ओ. डी. द्वारा कल दिनांक 22.05.2026 को 23000 रूपये रिश्वत राशि देने पर ही परीक्षा में बैठने हेतु कहां है। मैने परिवादी से वायस रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास रख लिया है। परिवादी श्री चेतराम गुर्जर ने बताया कि आज 2 पी.एम. पर पेपर मेरा है। इस कारण पेपर देने हेतु जा रहा हू। पेपर खत्म होने के बाद मैं गॉव जाकर रिश्वत राशि की व्यवस्था करूगॉ तथा कल दिनांक 22.05.2026 को सुबह 8 ए.एम. पर रिश्वत राशि लेकर ए.सी.बी. कार्यालय टोक पर आ जाउगॉ। समय 3.30 पी.एम. पर श्री जलसिंह कानि. 248 उपस्थित कार्यालय आया तथा वायस रिकार्डर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपर्द कर बताया कि मैं व परिवादी दोनो कार्यालय से रवाना होकर डॉ. के. एन. मोदी विश्वविद्यालय वनस्थली रोड निवाई के बाहर पहुचे। समय 1.21 पी.एम. पर मैंने निर्देशानुसार वायस रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु डॉ. के. एन. मोदी विश्वविद्यालय में भेजा था जो करीब 14-15 मिनट बाद वापस मेरे पास आया तथा वायस रिकार्डर चालू हालात में मुझे पेश किया। वायस रिकार्डर को मैने बंद कर अपने पास रख लिया। परिवादी ने मुझे बताया कि रवाना होकर मीनू गंगल एच.ओ.डी. मैडम के चेम्बर में पहुचा तथा मैडम से परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र देने हेतु कहां तो मैडम ने कहां कि रूपये लेकर आया है क्या मेरे द्वारा मना करने पर काफी कहासुनी की तथा मेरे कॉलेज नही आने की अनुपस्थिति के बदले एवं मेरा परीक्षा प्रवेश पत्र देने की एवज में 23000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा कहां कि अभी कितने दे रहा है तो मैने कहां कि मेरे पास तो 1000 रूपये है तो वहॉ पर मौजूद श्री रमेश चन्द मीना प्रोफेसर ने कहां कि 1000 हजार में क्या होगा। फिर मैडम व रमेश चन्द मीना ने कहां कि कल पूरे 23000 रूपये ही लेकर आना। मेरे द्वारा 23000 रूपये की रसीद देने हेतु कहा तो रसीद देने से मना कर दिया तथा प्रवेश पत्र मुझे देकर आज परीक्षा देने हेतु कहां तथा कल 23000 रूपये रिश्वत राशि लाने पर ही परीक्षा में बिठाने हेतु कहां है। परिवादी ने बताया कि मेरा अभी 2 पी.एम. पर पेपर है इसलिये मैं पेपर देने हेतु जाउगॉ तथा पेपर खत्म होने के बाद गॉव जाकर रिश्वत राशि की व्यवस्था करूगॉ तथा कल दिनांक 22.05.2026 को सुबह 8 ए.एम. पर रिश्वत राशि लेकर ए.सी.बी. कार्यालय टोक पर आ जाउगॉ। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु कर मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता को सुना गया तो कानि. जलसिंह 248 व कानि. जलसिंह को परिवादी द्वारा बताये कथनो की ताईद हुयी। मजमून रिपोर्ट मे वर्णित तथयों की पुष्टि होना पाया गया, रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया। वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के सुरक्षार्थ कार्यालय आलमारी में रखा गया। समय 4.30 पी. एम पर कल दिनांक 22.05.2026 को ट्रेप कार्यवाही में दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से स्वतंत्र गवाहान पांबद करने हेतु खनि-अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग टोक के नाम तहरीर देकर मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32 को रवाना किया गया। समय 4.50 पी.एम. पर मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32 फिकराबाला का रवानाशुदा वापस आया व बताया कि दिनांक 22.05.2026 को दो स्वतंत्र गवाहान पांबद करने हेतु तहरीर लेकर कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता टोक पहुचा

तथा स्वतंत्र गवाहान 1. मनोज वर्मा पुत्र श्री हनुमान सहाय जाति रेगर उम्र 39 साल निवासी 21, हरदेव नगर अजमेर रोड जयपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक खनि. अभियन्ता टोक मोबाईल नम्बर 2. श्री रणजीत चौधरी पुत्र श्री बाबूलाल चौधरी जाति जाट उम्र 22 साल निवासी ग्राम बरवाला, मकराना जिला डीडवाना कुचामन हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक खनि. अभियन्ता टोक मोबाईल नम्बर को दिनांक 22.05.2026 को सुबह 8 ए.एम. पर ए.सी.बी. कार्यालय टोक पर उपस्थित होने हेतु पांबद किया गया। गवाहान को पांबद कर रवाना होकर वापस आया। दिनांक 22.05.2026 समय 7.45 ए.एम. पर पूर्व का पांबदशुदा परिवादी श्री चेतराम गुर्जर पुत्र श्री धनपाल गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 29 साल निवासी रजवाना तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर उपस्थित ए.सी.बी. चौकी टोक आया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि कल दिनांक 21.05.2026 को मैं व जलसिंह सिंह जी दोनो आपके कार्यालय से रवाना होकर डॉ. के. एन. मोदी विश्वविधालय वनस्थली रोड निवाई के बाहर पहुचे। समय 1.21 पी.एम. पर जलसिंह जी कानि. साहब ने मुझे सरकारी वायस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु डॉ. के. एन. मोदी विश्वविधालय में भेजा था। मैं जलसिंह जी के पास से रवाना होकर मीनू गंगल एच.ओ.डी. मैडम के चेम्बर में पहुचा तथा अपना परीक्षा प्रवेश पत्र देने हेतु कहां तो मैडम ने कहां कि रूपये लेकर आया है क्या मैने मना किया तो मेरे साथ कहासुनी की तथा मेरे कॉलेज नही आने की अनुपस्थिति के बदले एवं मेरा परीक्षा प्रवेश पत्र देने की एवज में 23000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा कहां कि अभी कितने दे रहा है तो मैने कहां कि मेरे पास तो 1000 रूपये है तो वहॉ पर मौजूद श्री रमेश चन्द मीना प्रोफेसर ने कहां कि 1000 हजार में क्या होगा। फिर मैडम व रमेश चन्द मीना ने कहां कि कल पूरे 23000 रूपये ही लेकर आना। मेरे द्वारा 23000 रूपये की रसीद देने हेतु कहा तो रसीद देने से मना कर दिया। मेरे निवेदन करने पर कल परीक्षा देने की इजाजत दी तथा आज परीक्षा देने आने से पूर्व 23000 रूपये रिश्वत राशि लेकर आने हेतु कहां तथा रिश्वत राशि लाने पर ही परीक्षा में बैठने की धमकी दी। मैं रवाना होकर श्री जलसिंह जी के पास आया तथा वायस रिकार्डर उनको सुपर्द किया। जलसिंह जी ने वायस रिकार्डर को बंद कर अपने पास रख लिया। मैंने जलसिंह जी को कल दिनांक 21.05.2026 को बाद रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के बताया कि मेरा 2 पी.एम. पर पेपर है इसलिये पेपर देने के लिये जाउगॉ। मैं पेपर खत्म होने के बाद गॉव जाकर रिश्वत राशि की व्यवस्था करूगॉ तथा रिश्वत राशि लेकर ए.सी.बी. कार्यालय टोक पर आ जाउगॉ। फिर जलसिंह जी ने आपको जरिये दूरभाष बताया था। फिर जलसिंह जी वहॉ से रवाना हो गये थे। मीनू गंगल एच.ओ.डी. मैडम विद्यार्थीयो से जो रिश्वत के रूपये लेती है वह उसके सहयोगी श्री रमेश चन्द मीना को दिलवाती है। मीनू गंगल व रमेश चन्द मीना दोनो आपस में मिलीभगत कर विद्यार्थीयो से रिश्वत प्राप्त करते है। आज भी मीनू गंगल रिश्वत राशि रमेश चन्द मीना को ही दिलवायेगी। दिनांक 21.05.2026 को आरोपी मीनू गंगल व परिवादी के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हुई है में रमेश चन्द मीना परिवादी श्री चेतराम गुर्जर को मीनू गंगल को रिश्वत देने हेतु दबाव बना रहा है तथा रिश्वत राशि प्राप्त करने में मीनू गंगल का सहयोग करना मांग सत्यापन वार्ता से प्रथम दृष्टया प्रकट हो रहा है। समय 8 ए.एम. पर पूर्व के पांबदशुदा स्वतन्त्र गवाह 1. मनोज वर्मा पुत्र श्री हनुमान सहाय जाति रेगर उम्र 39 साल निवासी 21, हरदेव नगर अजमेर रोड जयपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक खनि. अभियन्ता टोक मोबाईल नम्बर 2. श्री रणजीत चौधरी पुत्र श्री बाबूलाल चौधरी जाति जाट उम्र 22 साल निवासी ग्राम बरवाला, मकराना जिला डीडवाना कुचामन हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक खनि. अभियन्ता टोक मोबाईल नम्बर उपस्थित कार्यालय आये। उक्त दोनो गवाहान को आने के मन्तव्य से अवगत कराया गया। कार्यालय पर उपस्थित परिवादी श्री चेतराम गुर्जर से आपस मे परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 21.05.2026 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया एवं पढाया जाकर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये। पूर्व में सुरक्षित रखे गये सरकारी वायस रिकार्डर कार्यालय आलमारी से निकलवाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता को चालुकर मुख्य-मुख्य अंश गवाहान को सुनाया गया। गवाहान ने दर्ज वार्ता को सुनकर रिश्वत राशि का मांग सत्यापन होना बताया। उक्त दोनों गवाहान ने रिपोर्ट को पढ व समझ कर की जाने वाली कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड मय वायस रिकार्डर के अपने पास सुरक्षित रखा गया। समय 8.10 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे गये रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त वार्ताओं को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन-सुन कर वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री जलसिंह कानि. 248 द्वारा तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की 4 सी.डी. तैयार करवायी गयी। 3 सीडियो को अलग-अलग कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क A-1, A-2, A-3, अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक सी.डी. को अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखी गई। शील्डशुदा पैकिटो को कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के स्वंय के पास सुरक्षित रखा गया। समय 9.10 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय मे उपस्थितशुद्रा परिवादी श्री चेतराम गुर्जर पुत्र श्री धनपाल गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 29 साल निवासी रजवाना तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये

के 40 नोट कुल राशि 20000 रूपये प्रस्तुत किये। तत्पश्चात् उक्त नोटों के नम्बरों को फर्द में अंकित करवाये जाकर कार्यालय की अलमारी से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी श्री गणेश सिंह कानि. 375 से निकलवाई जाकर टेबल पर अखबार बिछाकर श्री गणेश सिंह कानि. 375 से ही उक्त नोटों के दोनो तरफ फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी चेतराम गुर्जर के पहनी हुयी पेन्ट की बायी जेब की तलाशी स्वतत्र गवाह श्री मनोज वर्मा से लिवाई गयी तो उसमें कोई भी वस्तु नहीं होना पाया गया, जिस पर उक्त पावडर लगी हुयी राशि परिवादी के पहनी हुयी पेन्ट की बायी जेब में श्री गणेश सिंह कानि. 375 से रखवायी गयी। तत्पश्चात एक साफ डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्री गणेश सिंह कानि. 375 की उंगलियों को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोल्फ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी रिश्वत राशि को अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो उक्त नोटों पर लगा फिनोलफ्थलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपीं ने रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री गणेश सिंह कानि. 375 से फिकवाया तथा फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार व डिस्पे◌ाजल गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनसे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे तथा परिवादी को अपने मोबाईल नम्बर   से जलसिंह कानि. 248 के मोबाईल नम्बर   पर मिस कॉल/मैसेज करने/वार्ता करने तथा अपने सिर पर हाथ घुमाकर रिश्वत लेन-देन होने का ईशारा करने हेतु समझाया गया। गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। फर्द दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 10.10 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री आसिफ खान सहायक उप निरीक्षक, मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32, श्री ईश्वर प्रकाश कानि. 256, श्री राजकुमार कानि. 160, श्री जलसिंह कानि. 248, श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316, श्री अजित सिंह कानि. 56 मय परिवादी श्री चेतराम गुर्जर मय स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज वर्मा, श्री रणजीत चौधरी तथा सरकारी नया मेमारी कार्ड 16 जीबी को सरकारी कैमेरे में डालकर श्री अजित सिंह कानि. 56 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि बीएनएसएस के नवीन प्रावधानो के अनुसार मौके की विडियोग्राफी करवायी जाना आवश्यक होने विडियोग्राफी कर मैमोरी कार्ड पेश करने की हिदायत की गई तथा मय लेपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक लेखन सामग्री मय वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के मय प्राईवेट वाहनो के ईलाका निवाई रवाना हुआ। चौकी हाजा पर श्री गणेश सिंह कानि. 375 को छोडा गया। समय 10.50 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा डॉ. के. एन. मोदी विश्वविद्यालय के बाहर गेट से पहले रूका वाहनो को एक साईड में खडा करवाया गया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी के बारी-बारी से डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय में प्रवेश कर ब्लॉक ए-1 के बाहर पहुचा। समय 11.06 ए.एम. पर श्री जलसिंह कानि. 248 से रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता हेतु वॉयस रिकार्डर चालू करवाकर परिवादी श्री चेतराम गुर्जर को सुपुर्द करा परिवादी को आरोपी के कार्यालय ब्लॉक ए-1 में रवाना किया गया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ता के आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार मे मुकिम हुआ। परिवादी श्री चेतराम गुर्जर पुत्र श्री धनपाल गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 29 साल निवासी ग्राम रजवाना तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर ने समय 11.13 ए.एम. पर अपने मोबाईल नम्बर   से श्री जलसिंह कानि. के मोबाईल नम्बर   पर टेक्सट मेसेज ओके कर रिश्वत लेन-देन का ईशारा किया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री मनोज वर्मा, श्री रणजीत चौधरी मय ट्रैप पार्टी के सदस्य, आसिंफ खान सहायक उप निरीक्षक, मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32, राजकुमार कानि. 160, जलसिंह कानि. 248, ईश्वर प्रकाश कानि. 256, श्री अजित सिंह कानि. 56, श्रीमती नमिता महिला कानि. नं. 316 मय ट्रैप बाक्स मय कार्यालय लेपटाप मय सरकारी केमरा के परिवादी के पास आरोपिया डॉ. श्रीमति मीनू गंगल हाल एसोशियेट प्रोफेसर (एच.ओ.डी.) के कार्यालय कक्ष ब्लॉक ए-1 के द्वितीय तल पर स्थित कमरा नम्बर 211 परिवादी के पूर्व में बताये अनुसार पहुचा। जहां कार्यालय कक्ष में परिवादी खडा हुआ मिला। परिवादी के सामने एक महिला व एक पुरूष बैठा हुआ था तथा इनके दाहिनी तरफ एक महिला कम्प्यूटर पर बैठकर कार्य कर रही थी। परिवादी ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालू हालत मे प्रस्तुत किया जिसको लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बंद कर अपने पास रखा, जहॉं पर परिवादी सामने बैठी महिला की तरफ ईशारा कर कहा कि यह मीनू गंगल एचओडी मेडम है तथा इनके पास

बैठा व्यक्ति श्री रमेश चन्द मीणा असिस्टेंट प्रोफेसर है। कम्प्यूटर पर बैठी मेडम को मैं नही जानता हूं। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कम्प्यूटर पर बैठी महिला का नाम पूछा तो उसने अपना नाम पूनम केशवानी होना बताया तथा डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय में अस्सिटेट प्रोफेसर होना बताया तथा अभी रिजल्ट की सीट तैयार करना बताया। जिसको पृथक से उचित हिदायत कर बाहर बैठाया गया। परिवादी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आपके पास से रवाना होकर मीनू गंगल मैडम के चेम्बर आया तथा मेडम से कहा कि मेरा एडमिट कार्ड में दे दो। मेडम ने कहा कि क्या करा रहे हो जमा तो मैंने कहा कि अभी मेरे पास 20000 रूपये है जिसमें सब क्लीयर कर दो। मैडम ने 20000 रूप्ये रिश्वति राशि उनके पास बैठे श्री रमेश चन्द मीना को देने हेतु कहां तो मैंने मैडम के कहने पर उनके पास बैठे श्री रमेश चन्द मीणा को 20,000 रूपये रिश्वत राशि दे दी, रमेश चन्द मीना ने रिश्वति राशि अपने हाथों में लेकर गिनकर अपने पेंट की दाहिनी जेब में रख ली। फिर मैंने श्री जलसिंह जी के मोबाईल पर अपने मोबाईल नम्बर से रिश्वत लेन-देन का ईशारा टेक्सट मेसेज करके किया तथा इनसे वार्ता करने लगा। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कुर्सी पर बैठी महिला को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो उस महिला ने अपना नाम डॉ. श्रीमती मीनू गंगल पत्नी श्री महेश कुमार जाति बनिया उम्र 48 साल निवासी मकान नम्बर ई-19, ग्रीन पार्क, आगरा रोड, जयपुर हाल एसोशियेट प्रोफेसर (एच.ओ.डी.), डॉ. के. एन. मोदी विश्वविद्यालय होना बताया तथा वर्ष 2018 से डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर पदस्थापित होना बताया तथा वर्तमान में 49500 रूपये सेलेरी होना बताया तथा उक्त संस्थान प्राईवेट होना बताया। श्रीमति मीनू गंगल के पास में कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो अपना नाम श्री रमेश चन्द मीणा पुत्र श्री हनुमान मीणा जाति मीणा उम्र 45 साल निवासी जयलालपुरा पुलिस थाना बौंली जिला सवाईमाधोपुर हाल असिस्टेंट प्रोफेसर (सहयोगी) डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, वनस्थली रोड, निवाई जिला टोंक होना बताया तथा वर्ष 2024 से डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थापित होना बताया तथा वर्तमान में 22500 रूपये सैलेरी होना बताया तथा उक्त संस्थान प्राईवेट होना बताया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मीनू गंगल से परिवादी श्री चेतराम गुर्जर से अनुपस्थिति व प्रवेश पत्र देने व परीक्षा में बैठने के लिये रिश्वत राशि की मांग करने एवं रिश्वत राशि अपने सहयोगी श्री रमेश चन्द मीणा को परिवादी से दिलवाने के संबंध में पूछा तो बताया कि चेतराम गुर्जर झूठ बोल रहा है। यह हमारे विश्वविद्यालय में बी.एड. का कोर्स कर रहा है तथा आज परीक्षा होने से हमारे पास आया है। मैंने चेतराम गुर्जर से कहा कि तेरी अनुपस्थिति ज्यादा है इसलिए तुझे Condonation Charge देना पडेगा। मेरे द्वारा परिवादी से कोई रिश्वत राशि की मांग नही की गयी है ना ही चेतराम गुर्जर को रिश्वत राशि अपने सहयोगी श्री रमेश चन्द मीना को देने हेतु कहा तथा रमेश चन्द मीना ने चेतराम गुर्जर से रिश्वत राशि नही ली है । मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री रमेश चन्द मीना से रिश्वत राशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में पूछा तो बताया कि मैने कोई रिश्वत राशि नही ली ना ही मैने परिवादी से कोई रिश्वत राशि देने हेतु कहाँ है न ही मेरे पास कोई रिश्वत राशि है। नाहि मैने कभी भी परिवादी से रिश्वत की मांग की है। इस पर परिवादी ने स्वतः ही मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं डॉ. के. एन. मोदी विश्वविद्यालय वनस्थली रोड निवाई में वर्ष 2024-26 बी.एड. द्वितीय वर्ष का विधार्थी हू। मैंने बी.एड. की प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष की निर्धारित फीस जमा करवा रखी है। जिसकी मेरे पास रसीद है। मेरा स्वास्थय खराब होने एवं घर पर आवश्यक कार्य होने के कारण मैं कुछ दिनो विश्वविद्यालय नही जा पाया था। आज से करीब एक माह पूर्व मेरा स्वास्थय ठीक होने पर जब मैं विश्वविद्यालय में गया तो मीनू गंगल एच.ओ.डी. मैडम ने मुझे बुलाकर कहां कि तु अनुपस्थित रहा है जिस कारण तुझे 23000 रूपये देने पडेगे नही तो तुझे परीक्षा में नही बैठने दूंगी। मैने मैडम से कहां कि मेरी सारी फीस जमा है तो कहने लगी कि अगर तुने रूपये नही दिये तो तुझे मुख्य परीक्षा के लिये प्रवेश पत्र नही मिलेगा। मैं कई बार उनके पास प्रवेश पत्र लेने गया लेकिन उन्होने मुझे प्रवेश पत्र नही देकर रिश्वत की मांग कर रिश्वत देने पर ही प्रवेश पत्र देने हेतु कहां। दिनांक 20.05.2026 को मेरी मुख्य परीक्षा होने से मैं विश्वविद्यालय में गया तथा मीनू गंगल मैडम से उनके चेम्बर में जाकर कहां कि आज मेरी मुख्य परीक्षा है मुझे प्रवेश पत्र दे दो तो मैडम ने मुझसे कहा कि तू अनुपस्थित रहा है तुझे परीक्षा में बैठना है तो 23000 रूपये देने होंगे। मैने भावनात्मक रूप से मीनू गंगल मैडम से निवेदन किया कि मुझे मेरा परीक्षा का प्रवेश पत्र दे दो ताकि मैं परीक्षा दे सकू तो मीनू गंगल मैडम ने कहां कि आज तो तू परीक्षा दे ले तथा कल तथा बाकी परीक्षा देनी है तो कल 23000 रूपये लेकर आना नही तो परीक्षा नही देने दूंगी। कल दिनांक 21.05.2026 को आपके कार्यालय पर शिकायत की थी। शिकायत करने के बाद रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु आपके कार्यालय से रवाना होकर डॉ के.एन. मोदी विश्वविद्यालय पहुंचकर मीनू गंगल एच.ओ.डी. मैडम के चेम्बर में पहुचा तथा अपना परीक्षा प्रवेश पत्र देने हेतु कहां तो मैडम ने कहां कि रूपये लेकर आया है क्या मैने मना किया तो मेरे साथ कहासुनी की तथा मेरे कॉलेज नही आने की अनुपस्थिति को सही करने एवं मेरा परीक्षा प्रवेश पत्र देने व परीक्षा में बैठाने की एवज में मीनू गंगल व श्री रमेश चन्द मीणा ने 23000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा कहां कि अभी कितने दे रहा है तो मैने कहां कि मेरे पास तो 1000 रूपये है तो मैडम ने कहां कि कल पूरे 23000 रूपये ही लेकर आना। मेरे द्वारा 23000 रूपये की रसीद देने हेतु कहा तो रसीद देने से मना कर दिया। मेरे निवेदन करने पर कल परीक्षा देने की इजाजत दी तथा आज परीक्षा देने आने से पूर्व 23000 रूपये रिश्वत राशि लेकर आने हेतु कहां तथा रिश्वत राशि लाने पर ही परीक्षा में बैठने की धमकी दी। इनकी

मांग के अनुसरण में आज मैने मीनू गंगल मेडम के कहे अनुसार रिश्वत राशि 20000 रूपये श्री रमेश चन्द मीणा को दे दिये। रमेश चन्द मीणा ने रिश्वत राशि अपने हाथ में लेकर गिनकर रिश्वती राशि अपनी पेंट की दाहिनी जेब में रख लिये। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपीगणों से पुनः तसल्ली देकर पूछा तो बताया कि आरोपीगणो ने कहां कि साहब हमसे गलती हो गई माफी चाहते है। हमें बचा लो। तत्पश्चात् मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपिया मीनू गंगल से श्री नवीन कुमार वाइस चांसलर (वी.सी.) के लिये रिश्वत राशि लेने के लिए पूछने पर बताया कि मैंने वी.सी. साहब के लिये कोई राशि चेतराम गुर्जर से नही ली है। वी.सी. साहब दिनांक 06.05.2026 को हुयी डॉ. के. एन. मोदी विश्वविद्यालय में नियुक्त हुये है। मुझे कभी भी श्री नवीन कुमार जी अग्रवाल वाइस चांसलर (वी.सी.) साहब ने किसी भी व्यक्ति के कोई रिश्वत लेने हेतु नही कहां है। इसी दौरान श्री नवीन कुमार अग्रवाल कुलगुरू (वाइस चांसलर) को तलब कर पूछताछ की तो बताया कि दिनांक 06.05.2026 को ही मैने डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय निवाई में कुलगुरू के पद पर ज्वानिंग किया है। श्री नवीन कुमार जी से मीनू गंगल द्वारा परिवादी श्री चेतराम गुर्जर से रिश्वति राशि लेने के सम्बन्ध में जानकारी होने बाबतृ पूछा तो बताया कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नही है। मैने कभी भी मीनू गंगल एच.ओ.डी. से किसी भी विद्यार्थी से किसी भी प्रकार का कोई रूपया लेने हेतु नही कहां है। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री नवीन कुमार जी से किसी भी विद्यार्थी के अनुपस्थिति होने पर उसे कोई राशि या चार्ज प्राप्त किया जाता है तो बताया कि ऐसा कोई नियम नही है अगर ऐसा किया जा रहा है तो गलत किया जा रहा है। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय कक्ष से मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32 से साफ पानी मंगवाया गया तथा प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन दिखाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी रमेश चन्द मीणा के दांहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को घोल में डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट कराये जाकर मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी रमेश चन्द मीणा के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित करा चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। कार्यालय कक्ष में आरोपी श्री रमेश चन्द मीणा की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब से 500-500 रूपये के नोट को स्वतंत्र गवाह श्री मनोज वर्मा से निकलवाया गया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान से नोटों को गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20000/-रूपये मिले।उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व की मूर्तिबशुदा फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो नोटों के नम्बरों का हुबहु मिलान होना पाया गया। रिश्वति राशि को गवाह श्री मनोज वर्मा के पास सुरक्षित रखवाया गया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय कक्ष से मोहम्मद जुनैद हैड कानि. से साफ पानी मंगवाया गया तथा प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात आरोपी श्री रमेश चन्द मीना के वक्त घटना रिश्वति राशि अपनी पहनी हुयी पेन्ट की दांयी जेब में रखी गई थी। आरोपी की पहनी हुयी पेन्ट को ससम्मान उतरवायी जाकर एक पजामें की व्यवस्था कर पहनाया गया। तत्पश्चात एक प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त घोल में आरोपी की पेन्ट की दाहिनी जेब को उलटकर से धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हुआ। जिसे हाजरिन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क P-1 व P-2 अंकित करा चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा पेन्ट की बायी जेब जिसमे से रिश्वत राशि बरामद हुई को सूखवा कर पेन्ट को सफेद कपडे की थैली मे रखकर सिलचिट कर मार्क "P" अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने गवाह श्री मनोज वर्मा के पास रखवाई गई रिश्वती राशि 20000/- रूपये को प्राप्त कर उक्त रिश्वती राशि को एक सफेद रंग के लिफाफे में रखकर सिल्ड चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "N" अंकित कर कब्जे एसीबी लिये। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री चेतराम गुर्जर द्वारा पूर्व मे रिश्वत राशि लेन देन की दर्ज वार्ता का सुपुर्दशुदा ड़िजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को दोनो गवाहान एवं परिवादी के समक्ष सुना गया तो परिवादी श्री चेतराम गुर्जर व आरोपीगण मीनू गंगल व रमेश चन्द मीणा के मध्य रिश्वत लेनदेन सम्बन्धित वार्ता की ताईद हुई। रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट एवं सीडियॉ अकब से तैयार करवायी जायेगी। तत्पश्चात मीनू गंगल हाल एसोशियेट प्रोफेसर (एच.ओ.डी.) के कार्यालय कक्ष में रखी हुई टेबलो की तलाशी ली गई तो एक टेबल की रेक में 164620 रूपये की संदिग्ध राशि मिली। जिसके बारे में मीनू गंगल से पूछने पर बताया कि यह बच्चो के अनुपस्थिति की

पेलेन्टी की राशि है। जिसकी रसीद के सम्बन्ध में पूछा तो कोई रसीद नही होना बताया। उक्त राशि संदिग्ध होने से कब्जे ए. सी.बी. लिया गया। उपरोक्त तथयो एवं परिस्थितियो से पाया कि परिवादी डॉ. के. एन. मोदी विश्वविद्यालय वनस्थली रोड निवाई में वर्ष 2024-26 बी.एड. द्वितीय वर्ष का विधार्थी है। परिवादी ने बी.एड. की प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष की निर्धारित फीस जमा करवा रखी है। परिवादी का स्वास्थय खराब होने एवं घर पर आवश्यक कार्य होने के कारण मैं कुछ दिनो विश्वविद्यालय नही जाने से उसकी अनुपस्थिति दर्ज की गयी। परिवादी के विश्वविद्यालय में उपस्थित होने पर मीनू गंगल हाल एसोशियेट प्रोफेसर (एच.ओ.डी.) ने परिवादी को बुलाकर कहां कि तु अनुपस्थित रहा है जिस कारण तुझे 23000 रूपये देने पडेगे नही तो तुझे परीक्षा में नही बैठने दूंगी। जिस पर ब्यूरो द्वारा आरोपी से दिनांक 21.05.2026 को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया तो आरोपीगण मीनू गंगल हाल एसोशियेट प्रोफेसर (एच.ओ.डी.) व श्री रमेश चन्द मीणा हाल असिस्टेंट प्रोफेसर (सहयोगी) द्वारा आपसी मिलीभगत कर परिवादी की अनुपस्थिति को सही करने एवं परीक्षा प्रवेश पत्र देने व परिवादी को परीक्षा में बैठाने की एवज में 23000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की। आज दिनांक 22.05.2026 को आरोपीगणो की मांग के अनुसरण में श्रीमति मीनू गंगल हाल एसोशियेट प्रोफेसर (एच.ओ.डी) के कहने पर श्री रमेश चन्द मीणा हाल असिस्टेंट प्रोफेसर (सहयोगी) को रिश्वत राशि दी। रमेश चन्द मीना ने रिश्वति राशि अपने हाथ में लेकर रिश्वति राशि को गिनकर अपनी पेन्ट की दाहिनी जेब में रखा। आरोपी रमेश चन्द मीना के दोनो हाथो को बारी-बारी से तैयारशुदा घोल में डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी होना पाया गया। आरोपी की पेन्ट की दाहिनी जेब जहाँ से रिश्वति राशि बरामद हुयी है दाहिनी जेब को तैयारशुदा घोल में डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग गहरा गुलाबी होना पाया गया। इस प्रकार आरोपीगणो द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर मिलीभगत कर षडयंत्र रचकर अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से परिवादी से रिश्वत राशि आरोपी रमेश चन्द मीना द्वारा अपने हाथो में ग्रहण कर गिनकर अपनी पहनी हुयी पेन्ट की दाहिनी जेब में रखी । जहां से रिश्वति राशि बरामद हुई। आरोपीगणो का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 (2) बी.एन.एस. 2023 का घटित करना पाया जाता है। आरोपीगण 1. डॉ. श्रीमति मीनू गंगल पत्नी श्री महेश कुमार जाति बनिया उम्र 48 साल निवासी मकान नम्बर ई-19, ग्रीन पार्क, आगरा रोड, जयपुर हाल एसोशियेट प्रोफेसर (एच.ओ.डी.), डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय व 2 श्री रमेश चन्द मीणा पुत्र श्री हनुमान मीणा जाति मीणा उम्र 45 साल निवासी जयलालपुरा पुलिस थाना बौंली जिला सवाईमाधोपुर हाल असिस्टेंट प्रोफेसर (सहयोगी) डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, वनस्थली रोड, निवाई जिला टोंक को पृथक से जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाता है। उक्त सम्पूर्ण टे॰प कार्यवाही की ऑडियो विडियो रिर्कार्डिंग कार्यालय के सरकारी कैमरे में मैमोरी कार्ड डालकर अजित सिंह कानि. 56 से करवाई गई। उक्त कार्यवाही में प्रकाश की उपयुक्त व्यवस्था रही। उपरोक्त कार्यवाही में जो ब्रास सील प्रयोग में ली गई का नमूना निम्नानुसार है। समय 2.15 पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री रमेश चन्द मीणा पुत्र श्री हनुमान मीणा जाति मीणा उम्र 45 साल निवासी जयलालपुरा पुलिस थाना बौंली जिला सवाईमाधोपुर हाल असिस्टेंट प्रोफेसर (सहयोगी) डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, वनस्थली रोड, निवाई जिला टोंक को जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 3 पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपिया डॉ. श्रीमती मीनू गंगल पत्नी श्री महेश कुमार जाति बनिया उम्र 48 साल निवासी मकान नम्बर ई-19, ग्रीन पार्क, आगरा रोड, जयपुर हाल एसोशियेट प्रोफेसर (एच.ओ.डी.), डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, वनस्थली रोड, निवाई जिला टोंक को जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 4 पी.एम पर श्री नवीन कुमार अग्रवाल कुलगुरू (वाइस चांसलर) से आरोपिया मीनू गंगल के कार्यालय कक्ष में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे के फुटेज से सम्बन्धित पेनड्राईव Sandisk कम्पनी का तैयार करवाकर खुला पेश किया। जिसें बाद अवलोकन लिफाफे में रखकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 4.45 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतन्त्र गवाह, मय परिवादी मय गिरफ्तारशुदा आरोपीगण 1. मीनू गंगल 2. रमेश चन्द मीना मय जाप्ता मय जप्तशुदा व शील्डशुदा आर्टीकल व रिश्वत राशि मय ट्रेप बॉक्स, कार्यालय लेपटाप, प्रिन्टर मय सरकारी कैमरा मय प्राईवेट वाहनो के डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय निवाई से एसीबी कार्यालय टोक के लिए रवाना हुआ। समय 6 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय परिवादी मय गवाहान एवं गिरफ्तारशुदा आरोपीगण मय सिल्डशुदा सेम्पल व रिश्वती राशि, जप्तशुदा आर्टिकल आदि के मय प्राईवेट वाहनो के ए.सी.बी. कार्यालय टोक पहुचा। समय 6.30 पी.एम. पर दिनांक 22.05.2026 को रूबरू परिवादी व आरोपीगणो के मध्य हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉईस रिकॉर्डर को चालूकर गवाहान व परिवादी के समक्ष लैपटॉप से कनेक्ट कर शब्द व शब्द सुन श्री जलसिंह कानि. 248 की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के 4 सीडियो में तैयार करवायी गयी। तीन सीडियो को अलग-अलग कपड़े की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क B-1, B-2, B-3 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 8.45 पी.एम. पर दिनांक 21.05.2026 को परिवादी श्री चेतराम गुर्जर व आरोपिया मीनू गंगल व आरोपी रमेश चन्द मीना के मध्य रूबरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बन्धित मूल मैमोरी कार्ड 16 GB Rajdhani कम्पनी को कार्यालय आलमारी से निकलवा गया तथा दिनांक 22.05.2026 को परिवादी श्री चेतराम गुर्जर व आरोपिया मीनू गंगल व आरोपी रमेश चन्द मीना के मध्य रूबरू हुई रिश्वत लेन देन वार्ता हुई से सम्बन्धित मेमोरी कार्डस 16 GB Rajdhani कम्पनी को कुल 2 नग मैमोरी कार्डस को एक सफेद कपडे

की थैली में रखकर सिल चिट कर मार्क M अंकित कर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द पृथक से तैयार कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 9.30 पी.एम. पर बीएनएसएस की धारा 105 में अंकित प्रावधानो के अनुसार ट्रेप कार्यवाही के दौरान मौके पर श्री अजित सिंह कानि. 56 से विडियोग्राफी करवायी गयी थी। श्री अजित सिंह कानि. 56 ने मौके पर की गई विडियोग्राफी का मूल मेमोरी कार्ड प्रस्तुत किया। श्री अजित सिंह कानि. 56 की मदद से मैमोरी कार्ड को सरकारी लेपटोप से कनैक्ट कर उक्त विडियो के 4 पेनड्राईव 16-16 जी.बी. Pandant कम्पनी के तैयार करवाये गये। 3 पेनड्राईव को कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क T-1, T-2, T-3, अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखा गया। इसी दौराने आसिफ खान सहायक उप निरीक्षक, मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32, श्री राजकुमार कानि. 160, श्री अजित सिंह कानि. 56, श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 मय सरकारी वाहन मय चालक गणेश सिंह 375 के चिकित्सा अधिकारी सआदत चिकित्सालय टोक व थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जिला टोक के नाम तहरीर मुर्तिब कर आरोपीगण 1. मीनू गंगल व 2. रमेश चन्द मीना का राजकीय चिकित्सालय में स्वास्थय परिक्षण करवा बाद जांच पुलिस थाना कोतवाली में सुरक्षित सुरक्षार्थ जमा करवाने की हिदायत कर रवाना किया। समय 11.20 पी.एम. पर आसिफ खान सहायक उप निरीक्षक मय हमराही जाप्ता मय सरकारी वाहन मय चालक गणेश सिंह के आरोपीगण 1. मीनू गंगल 2. रमेश चन्द मीना का स्वास्थय परीक्षण करवाकर आरोपीगणो को कोतवाली टोक में सुरक्षार्थ जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर हाजिर आये। समय 11.25 पी.एम. पर बीएनएसएस की धारा 105 में अंकित प्रावधानो के अनुसार ट्रेप कार्यवाही के दौरान मौके पर विडियोग्राफी करवायी गयी थी। विडियोग्राफी से सम्बन्धित मूल मेमोरी कार्डस 16 GH KDM कम्पनी के नंग 1 को कंवर में रख कर सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल चिट कर मार्क M-1 अंकित कर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11.55 पी.एम. पर जब्तशुदा सिल्डचिट रिश्वती राशि 20000 रूपये मार्क एन सिल्ड चिट शुदा धोवन की 6 शिशियां मार्क RH-1, RH-2, LH-11, LH-2, P-1, P-2 तथा पेन्ट का शील्डशुदा पैकिट मार्क P शील्डशुदा पैकिट 6 सीडियॉ सफेद पृथक-पृथक कपडे की थैली में मार्क A-1, A-2, A-3 B-1, B-2, B-3 तथा शील्डशुदा पैकिट मैमोरी कार्ड M शील्डशुदा पैकिट 3 पेनड्राईव सफेद पृथक-पृथक कपडे की थैली में रखकर मार्क T-1, T-2, T-3 शील्डशुदा पैकिट मेमोरी कार्ड मार्क- M-1 अनशिल्ड 164620 रूपये संदिग्ध राशि, दो मोबाईल अनशिल्ड इत्यादी को मालखाना इन्चार्ज श्री आसिफ खान स.उ.नि. को सुपुर्द कर कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाये । दिनांक 23.05.2026 समय 00.30 ए.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही उपयोग में ली गई ब्रास-सील का अवलोकन करवाया जाकर फर्द पर नमूना सील अंकित कर ब्रास सील को कार्यालय परिसर के बाहर पत्थर से तुड़वाई जाकर नष्ट की गई। फर्द नमूना व नाशानी नमूना सील मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़ कर सुनाई गयी, सुन-समझ कर व पढ़कर सही मान अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 1 ए.एम. पर श्री जलसिंह कानि. 248 ने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्प्टि बनाने एवं उक्त मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ताओ का सीडियो में तैयार करने के संबध मे बी.एन.एस.एस. की धारा 63(4)(ग) के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। जो बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 1.30 ए.एम. पर श्री अजित सिंह कानि. 56 ने दौराने ट्रेप कार्यवाही बी.एन.एस.एस. के प्रावधानो के अनुसार मौके पर करवायी गई विडियोग्राफी का मेमोरी कार्ड तैयार करने तथा मैमोरी कार्ड से पैनड्राईव तैयार करने के संबध मे बी.एन.एस.एस. की धारा 63(4)(ग) के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। जो बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 2 ए.एम. पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन एवं लेन देन वार्ता की ट्रांसक्प्टि, मेमोरी कार्ड, सीडियॉ एवं मौके की विडियोगाफ्री के मैमोरी कार्ड, पैनड्राईव के संबध मे बी.एन.एस.एस. की धारा 63(4)(ग) साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। समय 5 ए.एम. पर परिवादी चेतराम गुर्जर व दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री मनोज वर्मा व श्री रणजीत चौधरी को उचित हिदायत कर कार्यालय से रूखसत किया गया। उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो से पाया कि परिवादी डॉ. के. एन. मोदी विश्वविद्यालय वनस्थली रोड निवाई में वर्ष 2024-26 बी.एड. द्वितीय वर्ष का विधार्थी है। परिवादी ने बी.एड. की प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष की निर्धारित फीस जमा करवा रखी है। परिवादी का स्वास्थय खराब होने एवं घर पर आवश्यक कार्य होने के कारण मैं कुछ दिनो विश्वविद्यालय नही जाने से उसकी अनुपस्थिति दर्ज की गयी। परिवादी के विश्वविद्यालय में उपस्थित होने पर मीनू गंगल हाल एसोशियेट प्रोफेसर (एच.ओ.डी.) ने परिवादी को बुलाकर कहां कि तु अनुपस्थित रहा है जिस कारण तुझे 23000 रूपये देने पडेगे नही तो तुझे परीक्षा में नही बैठने दूंगी। जिस पर ब्यूरो द्वारा आरोपी से दिनांक 21.05.2026 को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया तो आरोपीगण मीनू गंगल हाल एसोशियेट प्रोफेसर (एच.ओ.डी.) व श्री रमेश चन्द मीणा हाल असिस्टेंट प्रोफेसर (सहयोगी) द्वारा आपसी मिलीभगत कर परिवादी की अनुपस्थिति को सही करने एवं परीक्षा प्रवेश पत्र देने व परिवादी को परीक्षा में बैठाने की एवज में 23000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की। आज दिनांक 22.05.2026 को आरोपीगणो की मांग के अनुसरण में श्रीमति मीनू गंगल हाल एसोशियेट प्रोफेसर (एच.ओ.डी) के कहने पर श्री रमेश चन्द मीणा हाल असिस्टेंट प्रोफेसर (सहयोगी) को रिश्वत राशि दी। रमेश चन्द मीना ने रिश्वति राशि अपने हाथ में लेकर रिश्वति राशि को गिनकर अपनी पेन्ट की दाहिनी जेब में रखा। आरोपी रमेश चन्द मीना के दोनो हाथो को बारी-बारी से तैsयारशुदा घोल में डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग

गुलाबी होना पाया गया। आरोपी की पेन्ट की दाहिनी जेब जहॉ से रिश्वति राशि बरामद हुयी है दाहिनी जेब को तैयारशुदा घोल में डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग गहरा गुलाबी होना पाया गया। इस प्रकार आरोपीगणो द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर मिलीभगत कर षडयंत्र रचकर अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से परिवादी से रिश्वत राशि की मांग कर रिश्वति राशि आरोपी रमेश चन्द मीना द्वारा अपने हाथो में ग्रहण कर गिनकर अपनी पहनी हुयी पेन्ट की दाहिनी जेब में रखी। जहां से रिश्वति राशि बरामद हुई। आरोपीगणो का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 (2) बी.एन.एस. 2023 का घटित करना पाया गया।अतः उक्त आरोपीगण 1. डॉ. श्रीमति मीनू गंगल पत्नी श्री महेश कुमार जाति बनिया उम्र 48 साल निवासी मकान नम्बर ई-19, ग्रीन पार्क, आगरा रोड, जयपुर हाल एसोशियेट प्रोफेसर (एच.ओ.डी.), डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय व 2 श्री रमेश चन्द मीणा पुत्र श्री हनुमान मीणा जाति मीणा उम्र 45 साल निवासी जयलालपुरा पुलिस थाना बौंली जिला सवाईमाधोपुर हाल असिस्टेंट प्रोफेसर (सहयोगी) डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, वनस्थली रोड, निवाई जिला टोंक के विरूद्ध धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना वास्ते क्रमाकंन सादर प्रेषित है। (ऋषिकेश मीना)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक.............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ऋषिकेश मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 (2) बी.एन.एस. 2023 में आरोपियान 1 1. डॉ. श्रीमति मीनू गंगल पत्नी श्री महेश कुमार जाति बनिया उम्र 48 साल निवासी मकान नम्बर ई-19, ग्रीन पार्क, आगरा रोड, जयपुर हाल एसोशियेट प्रोफेसर (एच.ओ.डी.), डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय वनस्थली रोड, निवाई जिला टोंक व 2 श्री रमेश चन्द मीणा पुत्र श्री हनुमान मीणा जाति मीणा उम्र 45 साल निवासी जयलालपुरा पुलिस थाना बौंली जिला सवाईमाधोपुर हाल असिस्टेंट प्रोफेसर (सहयोगी) डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, वनस्थली रोड, निवाई जिला टोंक के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री पारसमल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-प्रथम को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 1152 पर अंकित है। (सुनील सिहाग) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 839-42 दिनांक 24.05.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, टोंक 2- अध्यक्ष (कुलगुरू), डां के.एन. मोदी विश्वविधालय, निवाई जिला टौंक 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज अजमेर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** parasmal panwar **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Sunil Sihag
Location: Rajasthan,IN
Date: 24/05/2026 09:21:19

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Sunil Sihag

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	1978				
2	Male	1981				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)